# <u>मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी</u>

---

प्रकीर्ण वाद संख्या 29/2020 (एम.ए.सी.पी.सं. 370/2018)

श्रीमती कविता आदि बनामबालिकदास राजपूत आदि

**<u>09.06.2020</u>**

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। प्रार्थीगण/याचीगण मय विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

3B प्रार्थनापत्र जिसे शपथपत्र प्रपत्र संख्या 4C2 से समर्थित किया गया है, में प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती कविता आदि ने प्रार्थना की है, कि याचिका में न्यायाधिकरण के निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी द्वारा न्यायाधिकरण में धनराशि जमा की जा चुकी है, जिसे प्रार्थीगण/याचीगण को दिये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

मैंने, प्रस्तुत पत्रावली व तलबशुदा पत्रावली एम.एस.सी.सं.370/2018 एवं कार्यालय आख्या का परिशीलन किया। कार्यालय आख्या के अनुसार न्यायाधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांकित–14.12.2019 के अनुपालन में न्यायालय की चैक पंजिका के क्रमांक–44 से दिनांक 20.02.2020 को चैक द्वारा मुबलिग 6,00000/–रुपये न्यायाधिकरण के सिण्डीकेट बैंक के खाते में जमा किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा आधार कार्ड एवं पास बुक की छाया प्रतियॉ पत्रावली पर दाखिल की गयी हैं व असल पासबुक अवलोकनार्थ प्रस्तुत की हैं। न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय/आदेश के अनुसार प्रतिकर की धनराशि में से याची सं.1 श्रीमती कविता सोनी जो कि मृतक की पत्नी है, के नाम 1,00000/–रुपये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के तहत दो वर्ष के लिये निवेशित किये जावेंगे तथा मुबलिग 1,00000/–रुपये व समस्त ब्याज याची सं.1 के सिंडीकेट बैक शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी के खाता सं. 92352010008280 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित किये जायें। उक्त प्रतिकर राशि में से याची सं. 2 कु. आन्या नाबालिग जो कि मृतक व याची सं.1 की पुत्री है, उसके नाम जरिये संरक्षिका मां श्रीमती कविता सोनी याची सं.1 मुबलिग 3,00000/–रुपये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के तहत उसके वयस्क होने तक के लिये निवेशित किये जावेंगे । उक्त प्रतिकर की धनराशि में से शेष मुबलिग 50,000/–रुपये याची सं. 3 श्रीमती उमा देवी जो कि मृतक की मॉ है, के सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी के खाता सं. 92352010008275 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित किये जायें तथा मुबलिग 50,000/–रुपये याची सं. 3 श्रीमती उमा देवी के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के तहत दो वर्ष के लिये निवेशित किये जावेंगे। उपरोक्तानुसार याची सं.1 लगायत 3 के नाम धनराशि जमा कर एफ.डी.आर. इस न्यायाधिकरण में दाखिल की जाये एवम् उक्तानुसार धनराशि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आख्या न्यायाधिकरण में दाखिल जावे। 3C2 प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

इस प्रकीर्ण वाद की मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. 370/2018 श्रीमती कविता आदि बनाम बालिकदास राजपूत आदि की पत्रावली में समाहित की जाये।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.एम.ए.सी.टी., झांसी

Digitally signed by
CHANDRODAY
KUMAR
Date: 2020.06.09
16:15:01 UTC
Reason: Document
Owner
Location: MACT
JHANSI